न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 23 सन 2019

अनवान :–

1. नोरग पुत्र छबीलाराम जाति छिम्पा निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 06/1/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 54/48 के प0न0 334/439 (58) किला न0 6 ,15 ,ता 25 कुल 12.00 बीधा 3.0360हैक नहरी भूमि है।

सायल के नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नहरी दर्ज थी मौका पर नहरी भूमि है जिसमें सिचाई पानी लगता है एवं सिचाई विभाग में भी उक्त भूमि नहरी दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहवन से वाद भूमि बारानी दर्ज है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल राजस्व रिकार्ड वर्तमान में वाद भूमि जो बारानी दर्ज है को संशोधन करवाकर नहरी दर्ज करवाना चाहता है।

राजस्व रिकार्ड में सायल की नहरी भूमि बारानी दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए बारानी के आधार पर प्राप्त होती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 54/48 के प0न0 334/439 (58) किला न0 6 ,15 ,ता 25 कुल 12.00 बीधा 3.0360हैक सायल के नाम से बारानी के स्थान पर नहरी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 54/48 के प0न0 334/439 (58) किला न0 6 ,15 ,ता 25 कुल 12.00 बीधा 3.0360हैक नहरी भूमि है।

सायल के नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नहरी दर्ज थी मौका पर नहरी भूमि है जिसमें सिचाई पानी लगता है एवं सिचाई विभाग में भी उक्त भूमि नहरी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहवन से वाद भूमि बारानी दर्ज है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल राजस्व रिकार्ड वर्तमान में वाद भूमि जो बारानी दर्ज है को संशोधन करवाकर नहरी दर्ज करवाना चाहता है।

राजस्व रिकार्ड में सायल की नहरी भूमि बारानी दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए बारानी के आधार पर प्राप्त होती है इसलिये सायल राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 54/48 के प0न0 334/439 (58) किला न0 6 ,15 ,ता 25 कुल 12.00 बीधा 3.0360हैक भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार नहरी दर्ज है

सायल का कथन है कि उसकी भूमि मौका पर नहरी है नहर का पानी लगता है सिचाई विभाग से पानी की बारी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में सिचाई विभाग की रिपोर्ट भी पेश की गई जिसके अनुसार सायल की वाद भूमि मौके पर नहरी है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि मौके पर नहरी है राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 54/48 के प0न0 334/439 (58) किला न0 6 ,15 ,ता 25 कुल 12.00 बीधा 3.0360हैक भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है के स्थान पर नहरी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/1/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2019 / 136 LRA / 23 दिनांक :– 06/01/2021

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 20 / 2019 अनवानी नोरग बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

अनवान :–

1. नोरग पुत्र छबीलाराम जाति छिम्पा निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 23 / 2019 अनवानी नौरग बनाम सरकार में दिनांक 06/01/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 54 / 48 के प0न0 334 / 439 (58) किला न0 6 ,15 ,ता 25 कुल 12.00 बीधा 3.0360हैक भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है के स्थान पर नहरी संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner